WEST CENTRAL RAILWAY

Office of The
Chief Security Commissioner
RPF/WCR/Jabalpur
Date 27.11.2012

No.CSC/JBP/Prose./8/RTI/2012

Dy. CSTE(Tele) JBP

Sub:- Right to Information Act 2005–Progress report for the month of Oct-2012.

****

The subject information of security department on hard copy (as well as soft copy via E-mail) is enclosed herewith.

Please arrange to put the same on website.

DA:- pages. 04

ASC(PROSE)
RPF/HQ/W.C.RLY

STATEMENT SHOWING RAILWAY ACT CASES FOR THE MONTH OF OCT-2012.

Sections	No. of Cases	Fine realized
137	465	178741
138	9336	3676496
139	00	00
141	277	193977
142	00	00
143	05	00
144	695	414231
145	526	64200
146	89	21150
147	1008	174300
153	05	00
154	14	49500
155	313	37000
156	245	19640
157	00	00
159	251	28750
160	09	00
161	01	00
162	458	23800
163	00	00
164	03	00
165	00	00
166	00	00
167	61	2900
172	00	00
173	00	00
174	16	3385
175	00	00
176	00	00
180th	00	00
Total	**13777**	**4918535**

Statement showing RP(UP) Act cases for the month of Oct-2012

Year	No. of Cases detected	Value of Property Recovered	Arrest		
			OS	RE	RPF
Oct-2012	27	126185	53	00	00

Statement showing Theft of Railway Property Cases for the month of Oct-2012

Year	No. of Cases		Value of Property		Arrest		
	Regd.	Detd.	Stolen	Recovery	OS	RE	RPF
Oct-2012	26	27	166085	126185	53	00	00

Statement showing Theft of Railway Material Cases for the month of Oct-2012

Year	No. of Cases		Value of Property		Arrest		
	Regd.	Detd.	Stolen	Recovery	OS	RE	RPF
Oct-2012	23	26	133345	112745	48	00	00

Statement showing Theft of Booked Consignment Cases for the month of Oct-2012

Year	No. of Cases		Value of Property		Arrest		
	Regd.	Detd.	Stolen	Recovery	OS	RE	RPF
Oct-2012	03	01	3274	13440	05	00	00

रे.सु.ब. द्वारा माह अक्टूबर–2012 के दौरान किये गये अच्छे कार्यो का ब्यौरा

1) दिनांक 04.10.2012 को समय करीबन 10.15 बजे श्री विवके शर्मा निरीक्षक मंडल भंडार जबलपुर, श्री कमल सिंह उपनिरीक्षक कटनी, श्री भोजराज शर्मा प्रधान आरक्षक कटनी, जीआरपी उपनिरीक्षक आर. एस. मरावी एवं प्रधान आरक्षक 364 संयुक्त रुप से गष्त के दौरान प्लेटफार्म नं. 5 के सतना छोर पर एक बैग आर्मी कलर का लावारिस हालत में मिला। बैग को खोलकर देखने पर बैग के अंदर 95 नग 180 एमएल शराब की बोतलें रखी मिली। जिसकी कीमत 5000/– रु. मात्र आंकी गई। पंचनामा के तहत् कार्यवाही कर जीआरपी उपनिरीक्षक आर. एस. मरावी को सुपुर्द किया गया।
2) दिनांक 13.10.2012 को समय करीबन 06.09 बजे मझगवां फाटक–कटनी मुड़वारा के मध्य किमी नं. 1230/22 पर गाड़ी संख्या 12824 छत्तीसगढ़ सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस के इंजन नं. 30217 से पत्थर टकराये जाने की घटना के सम्बंध में सिटी पुलिस कुठला द्वारा प्रकरण क्रमांक 332/12 अतंर्गत धारा 150 रेलवे एक्ट दिनांक 13.10.12 कायम कर जांच मे लिया गया। दिनांक 15.10.2012 को उपनिरीक्षक कटनी कमल सिंह एवं हमराह स्टाफ द्वारा सुरागरसी के दौरान घटनास्थल पर दो बालकों नाम क्रमषः 1. मनोज यादव वल्द गुलाब यादव उम्र 14 साल निवासी इन्द्रानगर चौराहा कटनी म.प्र. एवं 2.सौरभ प्यासी वल्द महेन्द्र प्यासी उम्र 13 वर्ष सा. सेन्ट्रल वेयर हाउस के पास, इन्द्रानगरकटनी (म.प्र.) को पकड़ा गया। बाद कुठला सिटी पुलिस के साथ मिलकर पकड़े गये बालकों की निषानदेही पर उनके साथी दो अन्य बालकों नाम क्रमषः 1. हरिओम शर्मा वल्द राजकुमार शर्मा उम्र 13 वर्ष निवासी इन्द्रानगर कटनी (म.प्र.) एवं षिवेन्द्र त्रिपाठी वल्द रामसकेन्द्र उम्र 12 वर्ष निवासी इन्दानगर कटनी म.प्र. को भी पकड़ा गया। जिन्हें दिनांक 15.10.12 को माननीय बाल न्यायालय कटनी के समक्ष पेष किया गया, जहां चारों बच्चों को दस–दस हजार की जमानत पर उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया।
3) जबलपुर–अधारताल स्टेषनों के मध्य गाड़ियों पर पत्थर फेंकने तथा रेलवे ट्रेक पर पत्थर रखने की घटनाओं के संबंध में अपराध शाखा जबलपुर के उपनिरीक्षक श्री के. एस. रावत तथा आरक्षक मनोज कुमार उपाध्याय तथा अन्य स्टाफ द्वारा दिनांक 15.10.2012 को ऋषभ रजक पिता राकेष रजक, उम्र 15 साल निवासी पुराना शोभापुर मकान नं. 1087 थाना रांझी, संदीप पिता संतोष पटेल, उम्र 15 साल निवासी न्यू कंचनपुर थाना अधारताल जिला जबलपुर, रोहित सिंह पिता धीरेन्द्र सिंह, उम्र 14 साल निवासी कांचघर थाना घमापुर जिला जबलपुर, अभय पिता संतोष दीक्षित उम्र 14 साल निवासी सरकारी कुआं घमापुर जिला जबलपुर, को रेल अधिनियम की धारा 153 के तहत अपराध क्रमांक 10364/12 जबलपुर पोस्ट में कायम कर बंधपत्र एवं सपुर्दुगीनामा के तहत परिजन के सुपुर्द किया गया
4) दिनांक 19.10.2012 को समय करीबन 17.30 बजे निरीक्षक श्री डी. एस. सोय, उपनिरीक्षक कटनी श्री अनिल कुमार झा, आरक्षक श्री संजय सिंह बघेल तथा प्रधान आरक्षक हरीसिंह परस्ते एवं जीआरपी सहायक उपनिरीक्षक के. पी. शुक्ला, प्रधान आरक्षक हीरालाल चौधरी स्टेषन गष्त के दौरान कटनी स्टेषन प्लेटफार्म नं. 05 के पार्सल गेट के पास तीन बैग लावारिस हालत में पड़े मिलने पर बैग को खोलकर देखने पर उसमें 180 एमएल की 250 नग शराब की बोतलें पाई गयी। जिसकी कीमत 9250/– रु. मात्र आंकी गई। जीआरपी स. उ.नि.के.पी. शुक्ला द्वारा मौके की कार्यवाही कर माल को जप्त किया गया।
5) माह–अक्टूबर–2012 के दौरान, रेल सुरक्षा बल पोस्ट कटनी पर पंजीबद्व अपराध क्रमांक 25/2012 एवं 26/2012 अन्तर्गत धारा 3 आर.पी. (यू.पी.) एक्ट के तहत् कुल 09 आरोपियों, जिनमें 03 रिसीवरों को निरीक्षक श्री डी. एस. सोय, सहायक उपनिरीक्षक कटनी श्री डी. के. कुमावत, आरक्षक श्री संजय सिंह, आरक्षक श्री धीरेन्द्र सिंह, आरक्षक श्री कुलदीप सिंह यादव, आरक्षक श्री उमेष सिंह द्वारा पकड़कर उनके कब्जे से 83,600/– रु. मूल्य की केबल कॉपर वायर बरामद की गई है।
6) दिनांक 13.10.12 को बीट नं. 1–3 बीना छोर पर तैनात प्रधान आरक्षक सलीम मो. खान रेसुब थाना भोपाल को गाड़ी संख्या 04016 में यात्रा कर रहे यात्री द्वारा षिकायत की गई कि उसका पिठ्टू बैग चोरी हो गया है सूचना मिलने पर उपनिरीक्षक श्रीमति सरिता बघेल, प्र.आ.सलीम खान एवं आरक्षक रतनलाल ज्याणी ने एक बाहरी व्यक्ति सुनील पुत्र श्याम उम्र 18 वर्ष निवासी हॉस्टल के पास पोरपाइस होम पुलूपरली केरल को चोरी का बैग ले जाते हुए पकड़ा बैग मे अनुमानित कीमत 3,000 रूपये का सामान होना पाया गया। आरोपी के विरूद्ध जीआरपी भोपाल द्वारा अपराध क्रमांक 424/12 अंतर्गत धारा 379 आईपीसी दिनांक 13.10.12 में गिरफ्तार कर मामले को विवेचना में लिया गया।
7) दिनांक 20.10.12 को प्रधान आरक्षक धर्मराज भगत गाडी संख्या 51632 के समय 21.40 बजे भोपाल स्टेषन आगमन पर एक लडकी नाम आरती शर्मा पुत्री फेरन बाबू षर्मा उम्र 17 साल निवासी पीलू खेडी थाना समसाबाद जिला विदिषा ने बताया कि दिनांक 20.10.12 को वह समय करीबन 11.00 बजे 04 अज्ञात व्यक्ति उसे पिपलानी दुर्गा मंदिर के पास रोड से उसे जबरदस्ती धमकाकर कार मे बैठाकर भोपाल स्टेषन लाये। भोपाल से तीन व्यक्तियो ने उसे डरा धमकाकर उसे किसी यात्री गाड़ी मे बैठा दिया तथा उसमें से एक व्यक्ति

उस लडकी पास बैठ गया कुछ देर बाद व्यक्ति को नींद आने पर वह मौका पाकर ट्रेन के दूसरे दरवाजे से नीचे उतर गई। लडकी के बताये अनुसार उसके चाचा दिनेष षर्मा को मोबाईल पर कर सूचना दी गई जिस पर परिजन के रेसुब थाना भोपाल पर आने पर लड़की को सुपुर्दगीनामें के तहत सुपुर्द किया गया।

8) दिनांक 30.09.12 को गाडी संख्या 51188 कटनी–भुसावल ट्रेन के स्टेषन सुरगांव बंजारी पर एक यात्री जिसका नाम भगवान सिह पुत्र प्रताप सिह भिलाला उम्र 20 साल निवासी गांव करोली थाना जावर जिला खंडवा म.प्र. को एक वेंडर ने चाकू से मार कर द्यायल कर दिया है जिसे उपचार हेतु गाडी संख्या 11058 मे बैठाकर खंडवा ले जाया गया। जी आरपी खंडवा द्वारा अपराध क्रमांक 84/12 धारा 294,324,506 आईपीसी के तहत इरफान चने बेचने वाला के विरूद्ध अपराध कायम कर जांच मे लिया गया। दिनांक 01.10.12 को छनेरा से तलबडिया के बीच गाडी संख्या 15018 मे रेसुबल छनेरा के स्टाफ प्र.आ. जी.के.चौधरी आरक्षक डी.के.षर्मा और आरक्षक गोपाल सिह के द्वारा उक्त आरोपी इरफान पुत्र हनीफ लोहार जाति मुसलमान उम्र 21 साल निवासी गल्ला मंडी के पीछे अन्नापूर्णा मंदिर के पास राजीवनगर खिरकिया थाना छीपावड जिला हरदा को पकड़ा। उक्त आरोपी के विरुद्ध रेसुबल उपथाना छनेरा मे अपराध क्रमांक 472/12 धारा 137,144,145,153 रेल अधिनियम दिनांक 01.10.12 को पंजीकृत कर गिरफ्तार कर जीआरपी खंडवा को सूचित किया गया। मामले की जांच जारी है।